

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025 / 332

मुकदमा नम्बर 60 / 2025

दर्ज दिनांक— 08.05.2025

1. पूर्ण पुत्र बसेसर
2. महावीर पुत्र बसेसर
3. सीताराम पुत्र बसेसर
4. ओमी पुत्री बसेसर
5. सन्तरा पुत्री बसेसर समस्त जाति जांगिड निवासीगण जाखल, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री किशोर कुमार जांगिड

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 10.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम जाखल की खाता सं. 432 की भूमि खसरा नं. 537 रकबा 0.85 है, खसरा नं. 538 रकबा 1.03 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.88 है0 के राजस्व रिकार्ड में काश्तकार पूर्ण, महावीर, सीताराम, ओमी व सन्तरा के पिता का नाम बहादुर की जगह बसेसर दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8755 दिनांक 15.07.2025 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8755 दिनांक 15.07.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम जाखल की खाता सं. 432 की भूमि खसरा नं. 537 रकबा 0.85 है, खसरा नं. 538 रकबा 1.03 है, कुल किता 2 कुल रकबा 1.88 है के राजस्व रिकार्ड में काश्तकार पूर्ण, महावीर, सीताराम, ओमी व सन्तरा के पिता का नाम बहादुर की जगह बसेसर दुरुस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक/भूअ./25/8755 दिनांक 15.07.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनू

21/08/2025

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ.

क्रमांक / भू अ / 2025 / 8755

दिनांक 15/7/2025

प्रेषिति : - श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

नवलगढ

विषय : -उनवानी प्रकरण पूर्ण आदि बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. 60/2025 के अ.धा. 136 सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग : -श्रीमान के आदेश क्रमांक कोर्ट /रा.नस्व/तहरीर/282 दिनांक 09.05.2025की पालना में ।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी पूर्ण आदि बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. 60/2025 के अ.धा. 136 सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पटवारी हल्का जाखल से प्राप्त हुई है । जिसका अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में नाम पूर्णतः परिवर्तित हो रहे है, जो कि साबित करने का भार वादी पर है । वादी व साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न : - मूल रिपोर्ट पटवारी हल्का जाखल

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ

सा. 12

क्षीमान तहसीलदार साहब
तह. नवलगांव

विषय: उनवानी पुराना पूर्ण वनाम तहसीलदार नवलगांव क्र. नं. 60/2025
अ. धा. 136 में नवलगांव रिजर्वेशन बायल

पता: - क्षीमान तहसीलदार (क्र. नं.) नवलगांव क्र. नं. 60/2025/8043
के फुम में।

महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत नियमन है कि ग्राम जासल के लक्ष्मीन बंसरा वन 537, रकबा 0.85 हेक्टर ख. नं. 538 रकबा 1.03 हेक्टर कुल चिरा 2 कुल रकबा 1.88 हेक्टर की स्वदेवारी पूर्वामल मधवीर सीताराम सन्तरा, ओमी पिला बहादुर जाति जाति रिजर्वेशन बायल है। जबकि पूर्वामल मधवीर सीताराम सन्तरा ओमी पिला के पिला का नाम शरान काई मन्तरा पहचान पत्र, आधार कार्ड में बसेसर दर्ज है।

वर्त. नं. 11 नवलगांव जासल के पास है पुराना पत्र कुजाल पाची पूर्वामल मधवीर सीताराम ओमी व सन्तरा के पिला का नाम बसेसर उर्फ बहादुर है। अर्थात् बसेसर व बहादुर एक ही व्यक्ति के नाम है।


जमावन्दी सन्वत् 2013 से 2016 में ग. र. स. नं. 335 के स्वदेवारी पाची के पिला का बसेसर व पूरा सूरजा के नाम से दर्ज रिजर्वेशन है।

अतः वर्तमान जमावन्दी में पाथरिगाव के पिला के नाम बहादुर के बजाय बसेसर किया जाना उचित है।

विनोद साहू पेश है।

सलमान

जमावन्दी सन्वत् 2015-18
जमावन्दी सन्वत् 2013-2016
मिलान क्षेत्रफल
मूल पत्र नवलगांव क्र. नं. 2025/8043


11/07/2025
पं. जासल